संख्या-53/2019/1104 ई-2/तेरह-2019-309/94

प्रेषक,

डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जून, 2019

विषय:- मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी आसवनी, बरेली को 50 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के एथनॉल प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-132/दो-प्रा0डी0-9, दिनांक 25.03.2019 एवं पत्र संख्या-जी-16/दो-प्रा0डी0-9/बहेड़ी आसवनी, दिनांक 22 मई, 2109 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी आसवनी, बरेली को 50 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के एथनॉल प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी आसवनी, बरेली मे 50 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के एथनॉल प्लान्ट की स्थापना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा पेय क्षमता को यथावत रखते हुए वर्ष में आसवनी की स्वीकृत औद्योगिक क्षमता 81.828 लाख ली0 के अन्तर्गत एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जाएगा। यह भी प्रतिबन्ध होगा कि आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स, उद्योग मंत्रालय एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्र/राज्य के संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in